बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड
कृषि प्रक्षेत्र परिसर,मीठापुर, पटना–800001
फोन . 0612.2344396
बेब साइटः: **brbn.bih.nic.in** ईमेल : **brbn.bih.mail@gmail.com**

निविदा सूचना संख्या– विपणन 01/2014–15

बिहार राज्य बीज निगम द्वारा बिहार राज्य के किसानों को **खरीफ 2014 एवं आकस्मिक फसल योजना में अरहर, उरद, तोरिया, कुल्थी एवं मक्का** के प्रमाणित बीज उपलब्ध कराने हेतु नीचे अंकित ब्यौरा के अनुसार 2014–15 में उत्पादित बीज के क्रय हेतु निविदा आमंत्रित की जाती हैः–

क्र0	फसल	श्रेणी	प्रभेद	अनुमानित बीज की आवष्यकता (क्वीं0 में)	पैक साईज
1	अरहर	प्रमाणित	UPAS-120, MAL-13, AZAD (K-91-25), BIRSA ARHAR-1	2500	4Kg
2	उरद	प्रमाणित	NAVIN, PDM-54, AZAD URAD-1(KU-91-2), IPU-94-1, T-9, PANT URAD-19, PANT URAD-31, PANT URAD-40	6600	4kg
3	तोरिया	प्रमाणित	T-9, PT-303	10000	2 kg
4	कुल्थी	प्रमाणित	MADHU, BIRSA KULTHI-1	3000	2 kg
5	मक्का	प्रमाणित	PUSA COMPOSIT-3, PUSA COMPOSIT-4, GUJRAT MAKAI-6, BIRSA VIKAS MAKKA-2, DEWKI	500	4 kg

निविदा में भाग लेने हेतु अहर्ता –

1. इच्छुक सभी सरकारी/राष्ट्रीय सहकारी/निजी बीज उत्पादन कम्पनी ,जिनका बीज व्यापार में गत दो वर्षों में लगातार 2 करोड़ प्रति वर्ष का टर्न ओभर सरकारी/अर्द्धसरकारी/राष्ट्रीय सहकारी बीज कंपनी के साथ हो ।
2. न्यूनतम 500 एकड़ स्वयं का निबंधित बीज उत्पादन प्रक्षेत्र है।
3. स्वयं का न्यूनतम 500 मैट्रिक टन बीज भंडारण के लिए वेयर हाउसिंग की क्षमता है।
4. स्वयं का न्यूनतम 2 मैट्रिक टन प्रति/घंटा प्रोसेसिंग इकाई है।
5. स्वयं का प्रोसेसिंग इकाई 2011 या इससे पूर्व के वर्षों से स्थापित है।
6. आपूर्तिकर्ता कम्पनी द्वारा अपने डीलर के माध्यम से बीज का वितरण करने के स्थिति में कम्पनी का स्वयं एवं डीलर का बिहार राज्य में बीज बिक्री का वैद्य अनुज्ञप्ति हो।

नोट :– बिहार राज्य बीज निगम के डीलर नेटवर्क के माध्यम से बीज का वितरण करने पर बिहार राज्य में बीज बिक्री की अनुज्ञप्ति अनिवार्य नहीं है।

निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि – 30–05–2014 को अपराहन 3.00 बजे तक।

निविदा प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि – 02–06–2014 को सायं 3.00 बजे तक।

निविदा प्रपत्र हेतु शुल्क – 1000.00 नगद भुगतान पर अथवा निगम के बेबसाइट **brbn.bih.nic.in** से डाउनलोड करने पर रु1000.00 का डिमाण्ड ड्राफ्ट अलग से जमा करना होगा।

अग्रधन की राषि – रू0 5,00,000.00 (पॉच लाख रूपये) मात्र का डिमांड ड्राफ्ट बिहार राज्य बीज निगम लि0 पटना के पक्ष में तकनिकी निविदा के लिफाफा में ही जमा करना अनिवार्य है।

निविदा प्रपत्र खोलने की तिथि समय एवं स्थान – **दिनांक 03.06.2014** को पूर्वाहन 11.00 **बजे** प्रबंध निदेषक, बिहार राज्य बीज निगम लि0 के कार्यालय कक्ष में।

निविदा तकनिकी एवं वित्तीय मुल्यांकन समिति के समक्ष निविदादाता या उनके प्रतिनिधि की उपस्थिति में खोली जायेगी। लिफाफा के ऊपर निविदा सूचना संख्या–विपणन–01/2014–15 अंकित करना , Technical Bid लिफाफा पर Technical Bid, Financial Bid लिफाफा पर Financial Bid एवं स्वयं का पता लिखना अनिवार्य है। इन लिफाफों को मुहरबंद कर तथा दोनों लिफाफा को एक अलग बड़े लिफाफे में मुहरबंद कर निगम मुख्यालय, पटना में निविदा बॉक्स में जमा करना होगा। सभी लिफाफे अलग–अलग मुहरबंद नहीं रहने पर निविदा रद्द की जा सकती है।

आवष्यकतानुसार निविदादाताओं के स्टॉक एवं गोदाम का निरीक्षण किया जा सकता है। निविदा प्रपत्र में दर्षायी गयी मात्र कम या अधिक हो सकती है। बिना कोई कारण बताये किसी भी या सभी निविदा को आंषिक या पूर्ण रूप से निरस्त करने का अधिकार प्रबंध निदेषक, बिहार राज्य बीज निगम लि0 बिहार के पास सुरक्षित है।

विपणन प्रमुख

बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालयः कृषि प्रक्षेत्र परिसर, मीठापुर, पटना – 800 001
फोन / फैक्स–0612–2344396 वेबसाइट : brbn.bih.nic.in ई–मेल :brbn.bih.mail@gmail.com

निविदा प्रपत्र

निविदा सूचना सं0 विपणन 01 / 2014–15

मनी रसीद सं0.. दिनांक ....
राषि रु0 1000 / – (एक हजार रुपये मात्र)
पार्टी का नाम एवं पता ....

रोकड़पाल का हस्ताक्षर

नोटः– निविदा प्रपत्र दिनांक 02.06.2014 को 3:00 बजे अपराह्न तक Technical Bid तथा Financial Bid अलग–अलग लिफाफा में मुहरबंद कर दोनों लिफाफों को एक अलग बड़े लिफाफे में विपणन प्रमुख को संबोधित एवं स्वयं का पता के साथ , मुहरबंद कर बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड, कृषि प्रक्षेत्र परिसर, मीठापुर, पटना में निविदा बॉक्स में डालना होगा। Technical Bid लिफाफा पर Technical Bid तथा Financial Bid लिफाफा पर Financial Bid लिखना है, साथ ही सभी लिफाफों को मुहरबंद करना है। मुहरबंद नहीं रहने पर निविदा रद्द की जा सकती है।

Technical Bid लिफाफा में निविदा पृष्ठ सं0–1 से 5, पैन संख्या तथा बिक्री कर (VAT) प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाणपत्रों के छाया प्रति के साथ डालकर बंद करें।

Financial Bid लिफाफा में निविदा पृष्ठ सं0–6 से 8 तक (दर सम्बन्धित एवं भुगतान की प्रक्रिया) डालकर बंद करें।

विपणन प्रमुख

बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड
कृषि प्रक्षेत्र परिसर,मीठापुर, पटना–800001
फोन . 0612.2344396
बेब साइटः: brbn.bih.nic.in ईमेल : brbn.bih.mail@gmail.com

निविदा सूचना संख्या– विपणन 01/2014–15

बिहार राज्य बीज निगम द्वारा बिहार राज्य के किसानों को **खरीफ 2014 एवं आकस्मिक फसल योजना में अरहर, उरद, तोरिया, कुल्थी एवं मक्का** के प्रमाणित बीज उपलब्ध कराने हेतु नीचे अंकित ब्यौरा के आनुसार 2014–15 में उत्पादित बीज के क्रय हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है:–

क्र0	फसल	श्रेणी	प्रभेद	अनुमानित बीज की आवष्यकता (क्वीं0 में)	पैक साईज
1	अरहर	प्रमाणित	UPAS-120, MAL-13, AZAD (K-91-25), BIRSA ARHAR-1	2500	4Kg
2	उरद	प्रमाणित	NAVIN, PDM-54, AZAD URAD-1(KU-91-2), IPU-94-1, T-9, PANT URAD-19, PANT URAD-31, PANT URAD-40	6600	4kg
3	तोरिया	प्रमाणित	T-9, PT-303	10000	2 kg
4	कुल्थी	प्रमाणित	MADHU, BIRSA KULTHI-1	3000	2 kg
5	मक्का	प्रमाणित	PUSA COMPOSIT-3, PUSA COMPOSIT-4, GUJRAT MAKAI-6, BIRSA VIKAS MAKKA-2, DEWKI	500	4 kg

निविदा में भाग लेने हेतु अहर्ता –

7. इच्छुक सभी सरकारी/राष्ट्रीय सहकारी/निजी बीज उत्पादन कम्पनी ,जिनका बीज व्यापार में गत दो वर्षों में लगातार 2 करोड़ प्रति वर्ष का टर्न ओभर सरकारी/अर्द्धसरकारी/राष्ट्रीय सहकारी बीज कंपनी के साथ हो ।
8. न्यूनतम 500 एकड़ स्वयं का निबंधित बीज उत्पादन प्रक्षेत्र है।
9. स्वयं का न्यूनतम 500 मैट्रिक टन बीज भंडारण के लिए वेयर हाउसिंग की क्षमता है।
10. स्वयं का न्यूनतम 2 मैट्रिक टन प्रति/घंटा प्रोसेसिंग इकाई है।
11. स्वयं का प्रोसेसिंग इकाई 2011 या इससे पूर्व के वर्षों से स्थापित है।
12. आपूर्तिकर्ता कम्पनी द्वारा अपने डीलर के माध्यम से बीज का वितरण करने के स्थिति में कम्पनी का स्वयं एवं डीलर का बिहार राज्य में बीज बिक्री का वैद्य अनुज्ञप्ति हो।

नोट :– बिहार राज्य बीज निगम के डीलर नेटवर्क के माध्यम से बीज का वितरण करने पर बिहार राज्य में बीज बिक्री की अनुज्ञप्ति अनिवार्य नहीं है।

निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि – 30–05–2014 को अपराहन 3.00 बजे तक।

निविदा प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि – 02–06–2014 को सायं 3.00 बजे तक।

निविदा प्रपत्र हेतु शुल्क – 1000.00 नगद भुगतान पर अथवा निगम के बेबसाइट **brbn.bih.nic.in** से डाउनलोड करने पर रु1000.00 का डिमाण्ड ड्राफ्ट अलग से जमा करना होगा।

अग्रधन की राषि – रू0 5,00,000.00 (पॉच लाख रूपये) मात्र का डिमांड ड्राफ्ट बिहार राज्य बीज निगम लि0 पटना के पक्ष में तकनिकी निविदा के लिफाफा में ही जमा करना अनिवार्य है।

निविदा प्रपत्र खोलने की तिथि समय एवं स्थान – दिनांक 03.06.2014 को पूर्वाहन 11.00 **बजे** प्रबधं निदेषक, बिहार राज्य बीज निगम लि0 के कार्यालय कक्ष में।

निविदा तकनिकी एवं वित्तीय मुल्यांकन समिति के समक्ष निविदादाता या उनके प्रतिनिधि की उपस्थिति में खोली जायेगी। लिफाफा के ऊपर निविदा सूचना संख्या–विपणन–01/2014–15 अंकित करना , Technical Bid लिफाफा पर Technical Bid, Financial Bid लिफाफा पर Financial Bid एवं स्वयं का पता लिखना अनिवार्य है। इन लिफाफों को मुहरबंद कर तथा दोनों लिफाफा को एक अलग बड़े लिफाफे में मुहरबंद कर निगम मुख्यालय, पटना में निविदा बॉक्स में जमा करना होगा। सभी लिफाफे अलग–अलग मुहरबंद नहीं रहने पर निविदा रद्द की जा सकती है।

आवष्यकतानुसार निविदादाताओं के स्टॉक एवं गोदाम का निरीक्षण किया जा सकता है। निविदा प्रपत्र में दर्षायी गयी मात्र कम या अधिक हो सकती है। बिना कोई कारण बताये किसी भी या सभी निविदा को आंषिक या पूर्ण रूप से निरस्त करने का अधिकार प्रबधं निदेषक, बिहार राज्य बीज निगम लि0 बिहार के पास सुरक्षित है।

विपणन प्रमुख

तकनीकी निविदा

1. विज्ञापन संख्याः– **विपणन 01/2014–15** निविदा जमा करने की अन्तिम तिथिः–
2. निविदा कम्पनी का नाम एवं पताः–
3. निविदा पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले का नाम एवं पदनामः–
4. मोबाईल/फोन संख्या (सम्पर्क संख्या):–
5. ई–मेल :–
6. सुरक्षित जमा राशि का व्यौराः– बैक का नामः–

   ड्राफ्ट संख्या/तिथिः– राशिः–
7. स्थाई लेखा संख्या PAN (**अनु0–1**):–
8. अंकेक्षित वार्षिक प्रतिवेदन सारांष(2011–12/2012–13 **अनु0–2**):–
9. निविदा के शर्त मान्य है/नहीं हैः–
10. शपथ–पत्र (बीज आपूर्ति के क्रय में देष में कहीं भी शिकायत नहीं होने के सम्बन्ध में **अनु0–3**) :–
11. बीज उत्पादन क्षेत्र का व्यौराः– (बीज प्रमाणन एजेन्सी का प्रमाणपत्र **अनु0–4**)–

    रकबा (एकड में)–

    पताः– ग्रामः– जिलाः– राज्यः–
12. भण्डारण क्षमता (MT में) एवं भण्डार का पूर्ण पता (**अनु0–5**):–
13. प्रोसेसिंग ईकाई का निबंधन एवं पता :– (**अनु0–6**):–
14. बीज की उपलब्ध मात्रा हेतु व्यौराः–

क्र0	फसल	प्रभेद	निविदादाता द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली मात्रा क्वीं0 में न्यूनतम 500 qtls.	अभियुक्ति
1	**2**	**3**	**4**	**5**

नोट :– सभी अनुलग्नक क्रमवार संलग्न

निविदादाता या उनके
अधिकृत प्रतिनिधि का हस्ताक्षर

नियम एव शर्त्त

(क) तकनिकी निविदा हेतुः–

1. बिहार राज्य के लिए खरीफ 2014 एवं आकस्मिक फसल योजना में नीचे अंकित ब्यौरा के आनुसार अनुषंसित बीज का प्रमाणित प्रभेद आपूर्ति करना होगा :–

क0	फसल	प्रभेद	अनुमानित आपूर्ति मात्रा (क्वीं0 में)
1	अरहर	UPAS-120, MAL-13, AZAD (K-91-25), BIRSA ARHAR-1	2500
2	उरद	NAVIN, PDM-54, AZAD URAD-1(KU-91-2), IPU-94-1, T-9, PANT URAD-19, PANT URAD-31, PANT URAD-40	6600
3	तोरिया	T-9, PT-303	10000
4	कुल्थी	MADHU, BIRSA KULTHI-1	3000
5	मक्का	PUSA COMPOSIT-3, PUSA COMPOSIT-4, GUJRAT MAKAI-6, BIRSA VIKAS MAKKA-2, DEWKI	500

इसके अतिरिक्त अन्य अनुषंसित प्रभेद का चयन प्रबंध निदेषक द्वारा किया जा सकता है।

2. आपूर्तिकर्त्ता कंपनी द्वारा अपने डीलर के माध्यम से बीज का वितरण जिलो में करने की स्थिति में कंपनी का स्वंय एवं उनके डीलर का बिहार राज्य में बीज बिक्री का वैध अनुज्ञप्ति होना अनिवार्य है। बिहार राज्य बीज निगम लि0 के डीलर नेटवर्क से आपूर्ति के स्थिति में डीलर कमीषन समेत 10% एवं स्वयं के डीलर नेटवर्क से आपूर्ति किये जाने पर 2% कमीषन की कटौती हस्थालन मद में की जायेगी।
3. 500 क्वीं0 से कम मात्रा उपलब्ध कराने वाले निविदादाताओं के निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
4. निविदादाताओं द्वारा उपलब्ध करवाये जाने वाली अरहर, उरद, तोरिया, कुल्थी एवं मक्का प्रमाणित बीज के गोदाम की विवरणी भण्डारित बीज की गोदामवार मात्रा एवं भण्डारित गोदाम का नाम एवं पता तकनीकी निविदा के साथ अंकित करना आवश्यक है अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
5. जिलावार अरहर, उरद, तोरिया, कुल्थी एवं मक्का प्रमाणित बीज की मात्रा उस जिले के सभी प्रखण्डों में आपूर्तिकर्ता अपने स्वयं अथवा बिहार राज्य बीज निगम के डीलर के माध्यम से खरीफ–2014 में स्टॉल लगाकर चयनित किसानों के बीच अनुमान्य अनुदान पर उपलब्ध कराया जाएगा।
6. अरहर, उरद, तोरिया, कुल्थी एवं मक्का प्रमाणित बीज 2/4 किलोग्राम के कपड़ा थैला में पैक होगा। बीज का रासायनिक बीज उपचार करना होगा ।
7. आपूर्तिकर्त्ता कम्पनी द्वारा लॉटवार प्रेषण सुनिष्चित करना होगा जिसकी क्रमवार सूचना निगम को निर्धारित प्रपत्र में उपलब्ध कराना होगा।
8. जिला स्तर पर बीज आपूर्ति के पश्चात् चालान/जी0आर0 एवं विपत्र की प्रति जिला कृषि पदाधिकारी से प्रति हस्ताक्षरित करवाकर आपूर्ति की अंतिम तिथि के पंद्रह दिनों के अन्दर जमा करने की जिम्मेवारी आपूर्तिकर्त्ता कम्पनी की होगी। सीधे निगम की आपूर्ति की स्थिति में बीज आपूर्ति चालान निगम को देना होगा। जिला कृषि पदाधिकारी प्रतिहस्ताक्षरित कराने की जिम्मेवारी निगम की होगी।
9. कम्पनियों द्वारा उपलब्ध कराये गये अरहर, उरद, तोरिया, कुल्थी एवं मक्का प्रमाणित बीज का नमूना अपने कार्य प्रखण्डों में आपूर्ति किये गये वाहन से लेकर संबंधित जिला के सक्षम पदाधिकारी प्रयोगषाला में जॉच हेतु भेजेंगे, नमूना अमानक आने पर उक्त लॉट का बीज का भुगतान नही किया जायगा एवं बीज अधिनियम–1966 के प्रावधान के अनुसार अन्य कार्रवाई की जा सकती है।
10. तकनिकी निविदा के साथ निम्न से संबंधित प्रमाण–पत्र संलग्न करें :–
    - (i) न्यूनतम 500 एकड़ का बीज उत्पादन क्षेत्र बीज प्रमाणन एजेन्सी के साथ निबंधित।
    - (ii) 500MT क्षमता का वेयर हाउसिंग।
    - (iii) न्यूनतम 2MT/घंटा क्षमता का प्रोसेसिंग इकाई जो वर्ष 2011 के पूर्व से संबंधित बीज प्रमाणन एजेन्सी के साथ निबंधित।

निविदादाता या उनके अधिकृत प्रतिनिधि का हस्ताक्षर

(iv) बीज व्यापार न्यूनतम 2 करोड़ वार्षिक का टर्नओवर सरकारी/अर्द्धसरकारी/राष्ट्रीय सहकारी बीज कंपनी के साथ हो। मात्र अंकेक्षण प्रमाण–पत्र की सार (Summary) पृष्ठ एवं आयकर रिर्टन की प्रति संलग्न हो।

11. बीज के थैला पर निम्न बातें लिखी होनी चाहिएः–
    (i) केवल बिहार राज्य में बिक्री के लिए।
    (ii) कृषि विभाग की योजना अन्तर्गत।
    (iii) जहर से शोधन किया हुआ एवं खाने योग्य नहीं।
    (iv) लाल रंग में खतरनाक चिन्ह (हड्डी एवं सिर का चिन्ह) बनावें।
    (v) बच्चों की पहुॅच से दूर रखें।
    (vi) विपणन द्वारा बिहार राज्य बीज निगम लि0, पटना।

12. बन्द लिफाफे के ऊपर निविदादाता बीज उत्पादक कंपनी का नाम एवं पता अंकित होगा जो विपणन प्रमुख, बिहार राज्य बीज निगम लि0 पटना को प्रेषित होगा।

13. निविदा में सफल निविदादाता कम्पनी द्वारा आपूर्ति किये जाने वाले अरहर, उरद, तोरिया, कुल्थी एवं मक्का प्रमाणित बीज का पॉच नमूना प्रति नमूना 500 ग्राम मात्रा पारदर्शी थैले में आपूर्ति आदेष प्राप्ति के समय सीलबन्द कर जमा करना होगा। उक्त थैले पर निविदादाता कम्पनी का नाम, वर्ष, प्रभेद का नाम लिखा ऐड्रेस टैग लगाना/चिपकाना होगा।

14. बीज आपूर्ति बिहार के विभिन्न जिलों में 20 जून 2014 तक अनिवार्य रुप से करना होगा। ससमय बीज आपूर्ति नहीं करने पर आपूर्ति आदेष रद्द करते हुए अन्य आवष्यक वैधानिक एवं प्रतिबंधात्मक कारवाई किया जा सकता है।

15. निविदादाता द्वारा अंकित कोई भी शर्त मान्य नहीं होगा।

निविदादाता या उनके अधिकृत प्रतिनिधि का हस्ताक्षर

वित्तीय निविदा

विपणन 01/2014–15

1. बीज कम्पनी का नाम एवं पता ....

....

....

....

2. दर संबंधी विवरणी :–

(क)

क्र0	प्रमाणित बीज की उपलब्धता			दर (FOR) जिला स्तरीय सभी कमीषन सहित प्रति क्वीं0 रू0 में 4/8 किलो बैग में
	फसल	प्रभेद	उपलब्ध मात्रा (क्वीं0 में)	
1	2	3	4	5
1	अरहर			
2	उरद			
3	तोरिया			
4	कुल्थी			
5	मक्का			

3. बीज का विक्रय अपने अधिकृत डिलर के माध्यम से किया जायगा – हॉ/नहीं

निविदादाता या उनके
अधिकृत प्रतिनिधि का हस्ताक्षर

(ख) वित्तीय निविदा हेतुः–

1. तकनीकी निविदा में सफल निविदादाताओं का हीं वित्तीय निविदा खोला जायेगा।
2. 04 किलोग्राम के कपड़ा थैला में उपचारित 2/4 किलो अरहर, उरद, तोरिया, कुल्थी एवं मक्का प्रमाणित बीज के लिए प्रति क्वी0 दर वित्तीय निविदा में अंकित करना होगा। उक्त प्रति क्वीं0 अंकित दर में परिवहन, हस्तालन एवं जिला तथा प्रखण्ड स्तर पर आयोजित मेला में किसानों के बीच वितरण तक व्यय की गई राषि एवं डीलर कमीषन शामिल होगा।
3. न्यूनतम दर कुल दर (कॉलम 5 का) के आधार पर तय किया जाएगा।
4. निविदा में घोषित न्यूनतम दर अथवा न्यूनतम दर से कम दर पर आपूर्ति करने हेतु इच्छुक अन्य निविदादाताओं को भी बीज उपलब्धता के आधार पर बिहार वित नियमावली 2005 के धारा 131 द xiv के अनूरुप आपूर्ति आदेष प्रबंध निदेषक, बिहार राज्य बीज निगम लि0 द्वारा दिया जा सकता है।
5. आपूर्ति मात्रा का निर्धारण न्यूनतम दर एवं बीज उपलब्धता के आधार पर निविदा समिति द्वारा दिया जाएगा।
6. अरहर, उरद, तोरिया, कुल्थी एवं मक्का प्रमाणित बीज की आपूर्ति कृषि विभाग द्वारा निर्धारित समयबद्ध कार्यक्रम में सुनिष्चित कराना होगा। ससमय बीज आपूर्ति नहीं करने पर आपूर्ति आदेष रद्द की जा सकती है।
7. निविदा में न्यूनतम मूल्य पर अरहर, उरद, तोरिया, कुल्थी एवं मक्का प्रमाणित बीज क्रय हेतु विभिन्न सरकारी बीज उत्पादक निविदादाता बीज उत्पादक संस्था को बीज मात्रा आवंटित करने के लिए प्रबंध निदेषक, बिहार राज्य बीज निगम लि0 का निर्णय अन्तिम होगा।
8. निविदा में अंकित न्यूनतम दर अथवा उससे कम दर पर अरहर, उरद, तोरिया, कुल्थी एवं मक्का प्रमाणित बीज कृषि विष्वविद्यालय एवं I.C.A.R. संस्थाओं से क्रय करने के लिए प्रबंध निदेषक, बिहार राज्य बीज निगम लि0 का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा। आपूर्तिकर्त्ता कम्पनी द्वारा आपूर्ति किये गये बीज में किसी प्रकार की षिकायत की सूचना प्राप्त होने पर पूर्ण जिम्मेदारी आपूर्तिकर्त्ता कम्पनी की होगी। इस सम्बंध में निविदादाताओं को नोटरी पब्लिक से षपथ–पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
9. निविदा की प्रक्रिया में विवाद की स्थिति में निविदा समाप्ति के उपरान्त अपीलीय परिवाद दायर किया जा सकता है जिसपर अध्यक्ष–सह–कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार, पटना का निर्णय अन्तिम माना जाएगा जिसे दोनों पक्ष मानने के लिए बाध्य होंगे।
10. अगर किसी तरह का विवाद उत्पन्न होता है तो ऐसी स्थिति में विवाद का न्याय अधिकार क्षेत्र पटना जिला होगा।

निविदादाता या उनके अधिकृत प्रतिनिधि का हस्ताक्षर

(ग) भुगतान की प्रक्रियाः–

1. आपूर्त्तिकर्त्ता कम्पनी द्वारा आपूर्ति किए गए बीज के मूल चालान / जी0आर0नं0 पर बीज प्राप्तकर्त्ता, अधिकृत बीज बिक्रेताओं तथा संबंधित जिला के जिला कृषि पदाधिकारी का प्रतिहस्ताक्षर मुहर सहित बिहार राज्य बीज निगम के मुख्यालय को उपलब्ध कराने के उपरान्त आपूर्ति मात्रा का 50 प्रतिषत राषि का भुगतान किया जाएगा। यह विपत्र आपूर्ति आदेष में अंकित आपूर्ति की अंतिम तिथि के अधिकतम 15 दिनों के अंदर जमा करना होगा।
2. सफल बीज अंकुरण जॉचोपरान्त अन्तिम 50 प्रतिषत राषि का भुगतान , अनुमान्य कटौतियों के साथ किया जाएगा।
3. बिहार राज्य बीज निगम लि0 के विपणन तंत्र के अधिकृत बीज बिक्रेताओं का इस्तेमाल करने पर निगम द्वारा भुगतेय कुल राषि का 10 प्रतिषत कमीषन की कटौती के उपरान्त नियमानुसार शेष राषि का भुगतान किया जाएगा।
4. आपूर्तिकर्ता कम्पनी द्वारा अपने डीलर के माध्यम से वितरण करने पर हस्थालन कमीषन 2 प्रतिषत आपूर्ति आदेष में अकित दर के कुल भुगतेय राषि से कटौती के उपरान्त शेष राषि का भुगतान किया जायेगा।
5. अमानक पाए गए बीज की राषि का भुगतान नहीं किया जाएगा साथ ही अमानक बीज वापसी के लिए बिहार राज्य बीज निगम जिम्मेवार नहीं होगा। अमानक बीज से प्रभावित कृषकों को फसल की क्षतिपूर्ति राषि का भुगतान आपूर्तिकर्त्ता द्वारा किया जाना है।

निविदादाता या उनके
अधिकृत प्रतिनिधि का हस्ताक्षर

प्रमाण–पत्र

निविदा सूचना संख्या– विपणन 01 / 2014–15 से संबंधित सभी नियम शर्त्त मान्य है तथा उक्त शर्त्त को भली भॉति पढ़कर एवं समझकर हस्ताक्षर किया हूँ।

निविदादाता या उनके
अधिकृत प्रतिनिधि का हस्ताक्षर